UPPG010036242026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी– अंकिता दुबे ,एच 0 जे0 एस 0– UP–1713
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1389/2026

1. प्रेम चन्द्र उर्फ अंजनी कुमार उम्र 35 वर्ष
2. प्रमोद उम्र 40 वर्ष
3. सतीश उम्र 50 वर्ष
4. राहुल उम्र 27 वर्ष सुत सतीश

सुतगण हरीलाल

समस्त निवासीगण ग्राम पूरे रामचन्द्र, पोस्ट भदोही, थाना कोतवाली देहात जिला प्रतापगढ़. उ.प्र.

..आवेदक/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **...अभियोगी**

मु०अ०सं०–330/2025,
धारा–191(2), 191(3), 190,
109(1), 352, 115(2), 351(2),
324(4) बीएनएस,
थाना–कोतवाली देहात, जिला–प्रतापगढ़।

दिनांक–08.06.2026

1. आवेदक/अभियुक्तगण **प्रेम चन्द्र उर्फ अंजनी कुमार, प्रमोद, सतीश एवं राहुल** की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु० अ० सं०–330/2025, धारा–191(2), 191(3), 190, 109(1), 352, 115(2), 351(2), 324(4) बी.एन.एस, थाना–कोतवाली देहात, जिला–प्रतापगढ़ के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

2. **संक्षेप में अभियोजन कथानक** के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 21.11.2025 को मैं उप निरीक्षक अनूप कुमार यादव मय हमराह आरक्षी आशुतोष तिवारी व आरक्षी राहुल सिंह के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन एवं जांच प्रार्थना पत्र में कटरा मेदनीगंज में मामूर था कि जरिये पीआरबी 1981 इवेंट नंबर 09856 समय 14:10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पुरे रामचंद्र में दो पक्ष आपसी जमीनी विवाद को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे हैं। इस सूचना पर मैं उप निरीक्षक मय हमराही मौके पर ग्राम पुरे रामचंद्र में जाकर देखा तो ज्ञात हुआ कि दोनों पक्ष आपस में मारपीट लड़ाई झगड़ा व तोड़फोड किए हैं। प्रथम पक्ष के 01. मनीष पुत्र रामाश्रय 02. प्रीतम पुत्र रामाश्रय 03. लाल चंद्र पुत्र जगदेव 04. दिनेश पुत्र जगदेव 05. रामाश्रय पुत्र जगदेव 06. राज पुत्र दिनेश 07. मंसू पुत्र लालचंद 08. रवि पुत्र लालचंद 09. शनि पुत्र लालचंद समस्त निवासी गण ग्राम पुरे रामचंद्र पोस्ट भदोही थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ व 03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात एवं द्वितीय पक्ष के 01. प्रेमचंद पुत्र हरी लाल 02. प्रमोद पुत्र हरिलाल 03. सतीश पुत्र हरिलाल 04. राहुल पुत्र सतीश समस्त निवासी गण ग्राम पुरे रामचंद्र पोस्ट भदोही थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ व 05 व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा आपस में एक राय होकर लाठी डंडा व कुल्हाड़ी

Digitally signed by ANKITA DUBEY
Date: 2026.06.08 14:06:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

से एक दूसरे से लडाई झगडा मारपीट गाली गलौज तथा एक दूसरे को जान से मारने की नीयत से मारने पीटने लगे। जिसमें द्वितीय पक्ष के रिंकी सरोज पुत्री सतीश चंद्र सरोज निवासी उपरोक्त के सर में गंभीर चोटें आई है जिससे वह बेहोश हो गई थी। रिंकी सरोज को एंबुलेंस के द्वारा अस्पताल भिजवाया गया। द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष के घर पर तोड़फोड़ किया गया है जिसमें प्रथम पक्ष के अपाची मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई है। मुझ उप निरीक्षक व हमराही कर्मचारीगण के मौके पर पहुंचने पर उपरोक्त लोग मौके से हट बढ़ गए थे। उक्त दोनों पक्षों के इस कृत्य से समाज में भय व तनाव व्याप्त है। अन्त में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की याचना की गयी है। अन्त में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की याचना की गयी है।

3. **अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र** में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है उसने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी कानूनन या वाक्यातन कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त का सही नाम अंजनी कुमार है घर पर बुलाने का नाम प्रेमचन्द्र है। प्रार्थी/अभियुक्तगण एक ही परिवार के हैं। अभियुक्तगण 01 ता 03 सगे भाई हैं व अभियुक्त संख्या–04, अभियुक्त सतीश का पुत्र है प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार की मारपीट नहीं की गई है। प्रार्थी के लिखाफ कोई ऐसा मामला नहीं बनता है। पुलिस द्वारा स्वयं उक्त मुकदमा कायम किया गया है। जिससे दोनों पक्ष थाने में आकर समझौता के दौरान उनसे थाने में नफा नाजायज की मनमानी ढंग से मांग की जा सके। जबकि कहा सुनी के दौरान रिंकी सरोज के सिर में गम्भीर चोटे आई और परिवार के अन्य लोगों को भी चोटें आई थी। जिसके संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था। कथित घटना का कोई जनसाक्षी नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है इस अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष न ही प्रस्तुत किया गया है और न ही लम्बित है न ही विचाराधीन है। अतः अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में यह कथन किया गया कि अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। फर्जी तरीके उसे अभियुक्त बनाया गया है और अग्रिम जमानत दिये जाने का निवेदन किया गया है।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्तगण पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर जमीनी विवाद को लेकर लाठी, डण्ड, कुल्हाडी से मार पीट कर गम्भीर चोट पहुचाने तथा गाली गुप्ता देने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अभियुक्तगण का यह अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित करेगा और साक्षियों को प्रभावित कर सकता है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. **प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी का अवलोकन किया** इससे स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्तगण पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर जमीनी विवाद को लेकर लाठी, डण्ड, कुल्हाडी से मार पीट कर गम्भीर चोट पहुचाने तथा गाली गुप्ता देने व जान से मारने की धमकी देने तथा मोटर साइकिल तोड़–फोड़ करने का आरोप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों के मध्य जान से मारने की नियत से मारपीट, लड़ाई झगड़ा व तोड़फोड़ की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। जिसमें प्रथम पक्ष मनीष कुमार व अन्य कुल 9 अभियुक्त एवं 3 अज्ञात व्यक्तियों तथा द्वितीय पक्ष प्रेमचन्द्र कुल 05 व 05 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। जिसके अनुसार दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। द्वितीय पक्ष के रिंकी सरोज को गम्भीर चोटें आना तथा प्रथम पक्ष के घर में घुसकर द्वितीय पक्ष द्वारा उनकी अपाची मोटरसाइकिल तोड़ी गयी है। विवेचना अभी प्रचलित है। अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेकर मारपीट की गई है।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जय प्रकाश सिंह बनाम स्टेट आफ बिहार, ए.आई.आर. 2012 सुप्रीम कोर्ट 1676 में निम्न विधि प्रतिपादित की गयी है:–

"13. There is no substantial difference between Section 438 and 439 Cr.P.C. so far as appreciation of the case as to whether or not a bail is to be granted, is concerned. However, neither anticipatory bail nor regular bail can be granted as a matter of rule. The anticipatory bail being an extraordinary privilege should be granted only in exceptional cases. The judicial discreation conferred upon the court has to be properly exercised after proper application of mind to decide whether it is a fit case for grant of anticipatory bail.

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितयों व मामले की गम्भीरता को देखते हुये अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्तगण **प्रेम चन्द्र उर्फ अंजनी कुमार, प्रमोद, सतीश एवं राहुल** की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–330/2025,धारा–191(2), 191(3), 190, 109(1), 352, 115(2), 351(2), 324(4) बी.एन.एस,थाना–कोतवाली देहात, जिला–प्रतापगढ़ में प्रस्तुत **अग्रिम** जमानत प्रार्थना पत्र **खारिज** किया जाता है।

दिनांक–08.06.2026

(**अंकिता दुबे**)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)/
प्रतापगढ़।

स्टेनो–सुनील कुमार पटेल–।